न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी– विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 25/2020(2020/00192) दर्ज दिनांक 17.07.2020

प्रा.पत्र अन्तर्गत 251 ए आरटीए

शीर्षक

भेरू आत्मज बख्तावर तेली निवासी अड़सीपुरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

––प्रार्थी

बनाम

गिरधारी आत्मज खेमा तेली निवासी अड़सीपुरा तहसील सहाड़ं जिला भीलवाड़ा।

––विपक्षी

अधिवक्ता प्रार्थीः श्री रीतेश सुराणा
अधिवक्ता विपक्षीः श्री अरविंद चौधरी

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज. काश्तकारी अधिनियम ::

दिनांकः–16.10.2020

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने विपक्षी के विरूद्ध प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए R.T.A. का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम अड़सीपुरा पटवार हल्का चीड़खेड़ा तहसील सहाड़ा में प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1650 रकबा 0.17 हे0 स्थित है, जिसके लिये नकल जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 पेश है।

यह है कि प्रार्थी की उक्त आराजी संख्या 1650 चारो ओर से अन्य व्यक्तियों की कृषि आराजियात से घिरी हुई है, जिसमें प्रार्थी सरकारी रास्ता आराजी संख्या 1661 से पश्चिमी पाली के मध्य से होकर आराजी संख्या 1660 की पश्चिमी पाली पर से होकर अपनी आराजी संख्या 1650 में आवागमन करता है और अपनी आराजी का उपायोग उपभोग कर काश्तकार पैदावार लेता आ रहा है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के उक्त वर्णित खेत में आवागमन का कोई ओर रास्ता मौजूद नहीं है।

यह कि उक्त रास्ते से आवागमन करने के दरमियान गाड़ी, संज, बैल, पैदल, ट्रेक्टर आदि लाने लेजाने में पक्षकारान के मध्य आपस में विवद बना रहता है। प्रार्थी द्वारा कई मर्तबा रूपये लेकर प्रार्थी के आवागमन के उक्त रास्ते को सरकारी रूप में दर्ज करवाने बाबत् कहा लेकिन विपक्षी ने हर बार टालग बाजी का जवाब देते हुए इन्कार कर दिया। जबकि प्रार्थी रास्ते के उपयोग उपभोग के एवज में विपक्षी को ओर प्रतिकर राशि अदा करने हेतु तैयार है।

यह कि प्रार्थी की अपनी उक्त आराजी में गाड़ी, बैल, पैदल, ट्रेक्टर सहित आवागमन करने हेतु विपक्षी की आराजी संख्या 1661 व 1660 की पश्चिमी पाली पर से होकर करीब 13 फीट चौड़ाई के रास्ते की आवश्यकता है। जिस हेतु विपक्षी तैयार नहीं होने से प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु विवश होना पड़ा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.13 11:42:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

यह कि उक्त आराजीयात के अतिरिक्त प्रार्थी की आराजी में जाने का कोई अन्य रास्ता उपलब्ध नहीं है प्रार्थी की आराजी में जाने के लिए इस रास्ते की सख्त आवश्यकता है अन्यथा मै प्रार्थी अपने खातेदारी हक अधिकार एवं स्वामित्व की आराजी के उपयोग उपभोग से वंचित हो जाऊंगा।

प्रार्थी ने प्रा. पत्र में रिलीफ चाही है कि प्रार्थी का प्रार्थना – पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम अड़सीपुरा के बैरून हल्का आबादी में स्थित विपक्षी की आराजी संख्या 1661 की पश्चिमी पाली के मध्य भाग से विपक्षी की आराजी संख्या 1660 की पश्चिमी पाली से प्रार्थी की आराजी संख्या 1650 तक विपक्षी की आराजियात में से 13 फीट चौड़ाई का रास्ता राजस्व रेकार्ड व नक्शे में बिलानाम गै0मु0 रास्ता अंकित कराये जाने बाबत् प्रतिकर निर्धारण कर उसे रास्ते के रूप में दर्ज करने का आदेश तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर के नाम प्रदान कराया जावे ।

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 17.07.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी के अधिवक्ता उपस्थित विपक्षी के अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश कर कलम संख्या एक प्रार्थी स्वयं सिद्ध करें, कलम संख्या 2, 3, 4, 5 को गलत बताकर अस्वीकार किया है, कलम संख्या 6 एवं 7 को कानूनी बताया एवं शेष कथन प्रार्थना प्रार्थी को गलत होने से अस्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया । एवं प्रार्थना कि हैं कि प्रार्थी की आराजी संख्या 1665 से विपक्षी को अपनी आराजी संख्या 1661 व 1660 तक आवागमन हेतु भूमि रास्ते के लिए प्रतिकर स्वरूप प्रदान कराने की कृपा करावें।

प्रकरण में मौका निरीक्षण करवाया जाकर मौका रिपोर्ट जरिये पत्रांक /राजस्व/20/495 दिनांक 13.08.2020 को प्रस्तुत की जिसे शामिल मिसल किया गया।

<u>मौका पर्चा के अनुसार :–</u>

–यह कि ग्राम अड़सीपुरा के आराजी संख्या 1660 व 1661 में मौके पर रास्ता बना हुआ नहीं है।

– यह कि आराजी संख्या 1650 के लिए रास्ता मौके पर बंद है।

–यह कि मौका अनुसार आराजी नं0 1665, 1661 व 1660 में से होकर आराजी नं0 1650 में पूर्व में आवागमन किया जाता था।

–यह कि आराजी नं0 1650 मौके पर पड़त पड़ी होकर की से आवामगन नहीं हो रहा है।

– यह कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते अनुसार आराजी नं0 1660 में से 0.0150 हे0, आराजी नं0 1661 में से 0.0150 हे0 भूमि रास्ते हेतु प्रभावित होगी। [illegible] सीपुरा की सिंचित पास की डी0एल0सी0 दर 348774/– प्रति हे0 निर्धारित [illegible] प्रभावित भूमि 0.0300 हे0 भूमि की मालियत 10464/– [illegible] दुगुनी राशि 20928/– होती है। उक्त प्रभावित भूमि की एवज में भूमि देने पर अप्रार्थीगण [illegible]त है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.13 11:42:18 IST
Reason: SelfAttested

2.

[illegible] अधिकारी
[illegible] जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

–यह कि इसके अतिरिक्त अप्रार्थीगण आराजी नं0 1665, 1660, 1661 की पूर्वी भूजा पर रास्ता देने को सहमत है। उक्त रास्ते में आराजी नं0 1665 में से 0.02 हे0, आराजी 1661 में से 0.02 हे0 तथा आराजी नं0 1660 में से 0.01 हे0 भूमि प्रभावित होगी उक्त रास्ते हेतु प्रभावित 0.05 हे0 भूमि की मालियत 17439/– रूपये होती है जिसकी दुगुनी राशि 34878/– रूपये होती है।

–यह कि वर्तमान रास्ता, प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता, उसे राजस्व नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया जाकर मय नकल जमाबंदी पत्र के साथ संलग्न है।

– यह कि मौके पर उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है।

वर वक्त सुनवाई प्रार्थी व विपक्षीगण के अधिवक्ता को मजमे आम में सुना गया। प्रार्थी ने प्रा. पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया। तथा प्रार्थना – पत्र को चाही गई रिलिफ अनुसार स्वीकार करने हेतु निवेदन किया। विपक्षीगण के अधिवक्ता ने विपक्षी द्वारा बतायी गई आराजियात में से ही रास्ता देने हेतु निवेदन किया एवं प्रार्थी द्वारा चाही गई आराजियात में से रास्ता देने हेतु विरोध किया।

मैनें पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया तथा प्रार्थी व विपक्षी के अधिवक्ता द्वारा वक्त सुनवाई बताये गये तथ्यों पर गहनता से मनन किया। ग्राम अड़सीपुरा पटवार हल्का चीड़खेड़ा की आराजी संख्या 1650 में आवागमन करने के लिऐ एक मात्र न्यूनतम दूरी का रास्ता जो ग्राम अड़सीपुरा पटवार हल्का चीड़खेड़ा में विपक्षी की आराजी नं0 1660 में से 0.0150 हे0, आराजी नं0 1661 में से 0.0150 हे0 भूमि अर्थात् रास्ते हेतु 0.0300 हे0 भूमि प्रभावित प्रभावित होती है। जो प्रार्थी की आराजी पश्चिमी मेड़ से लगकर 13 फीट चोड़ा रास्ता विपक्षी की खातेदारी आराजी संख्या 1660, 1661 से नजदीक रास्ते से जुड़ा है। मौका पर्चा रिर्पोट में प्रस्तावित रास्ते की भुमि को नजरी नक्शे मे लाल स्याही से प्रदर्शित किया गया है। प्रार्थी को अपनी कुषि भुमि आराजी नं0 1650 में आने जाने के लिए प्रस्तावित भुमि के लिऐ विपक्षी की आराजी संख्या 1660, 1661 के पश्चिमी वाली मेड़ [illegible] 13 फीट चौड़ाई का रास्ता प्रार्थी की आराजी में प्रवेश हेतु यानि 0.0300 हे0 [illegible] किया जाना उचित प्रतित होता है अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी का प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर टी एक्ट का स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है। अतएवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.13 11:42:18 IST
Reason: SelfAttested

3.

उपखण्ड अधिकारी
जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्या :– 25/2020 (2020/00192)
प्रा.पत्र अन्तर्गत 251 ए आरटीए

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर टी ए का स्वीकार किया जाता है। ग्राम अड़सीपुरा पटवार हल्का चीड़खेड़ा की आराजी संख्या 1650 में आने जाने के लिए विपक्षी की आराजी संख्या 1660, 1661 के पश्चिमी मेड़ से लगकर 13 फीट चौड़ाई का रास्ता यानी 0.0300 हे0 भुमि प्रार्थी की आराजी में प्रवेश हेतु बनती है। जिसकी वर्तमान डी0एल0सी0दर 348774/– है। उक्तानुसार रास्ता हेतु उपयोग में आने वाली भूमि का Govt. Of Rajasthan Revenue (Gr-6) Department के परिपत्र NOF 3(2)Rev.6/03/pt./7 Date 02-03-2012 के अनुसार डी0एल0सी0दर से मालीयत 10464/–होती है। इसकी दुगुनी राशि 20928/–प्रार्थी विपक्षी को भुगतान करने के पश्चात उक्त 0.0300 हैक्ट. भुमि को बिलानाम में गै. मु. रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सहाड़ा द्वारा प्रार्थी से उक्तानुसार राशि 20928/– प्रार्थी से वसुल कर विपक्षी को जरिये नोटिस सूचित करा राशि उपलब्ध करावें विपक्षी द्वारा राशि प्राप्त नहीं करने पर उक्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवाई जाकर ग्राम अड़सीपुरा पटवार हल्का चीड़खेड़ा की आराजी संख्या 1650 में आवागमन करने के लिऐ ग्राम अड़सीपुरा पटवार हल्का चीड़खेड़ा में विपक्षी की आराजी नं0 1660 में से 0.0150 हे0, आराजी नं0 1661 में से 0.0150 हे0 भूमि अर्थात् रास्ते हेतु 0.0300 हे0 भूमि मौके पर्चे में वर्णितानुसार बिलानाम गै0मु0 रास्ता दर्ज अभिलेख करें तथा तदनुसार नक्शें में तरमिम की जावें। पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 16.10.2020 मेंरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

4.

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.13 11:42:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner